श्री कुलदीप नारायण, भा0प्र0से0, जिला पदाधिकारी, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक 15.12.12 को समाहरणालय सभाकक्ष में सम्पन्न विकास समन्वय समिति की मासिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति –

1. श्री कुलदीप नारायण, जिला पदाधिकारी, मुंगेर।
2. श्री विपिन कुमार सिंह, उप विकास आयुक्त, मुंगेर।
3. श्री अजय कुमार झा, निदेशक, एन0ई0पी0, मुंगेर।
4. श्री मिथिलेश साहू, उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर।
5. डॉ0 आजाद शहाबुद्दीन, व0उ0समा0, मुंगेर।
6. श्री राजेश कुमार, व0उ0समा0, मुंगेर।
7. श्री महेश कुमार दास, अनुमंडल पदाधिकारी, सदर।
8. श्री कौशलेन्द्र कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी, तारापुर।
9. मो0 सलीम अख्तर, अनुमंडल पदाधिकारी, खड़गपुर।
10. श्रीमती मीना सिन्हा, जिला कल्याण पदाधिकारी, मुंगेर।
11. श्री एहसान अहमद, व0उ0समा0, जिला विकास शाखा, मुंगेर।
12. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुंगेर जिला।
13. जिला समन्वयक, SECC, मुंगेर।
14. जिला समन्वयक, RSBY, मुंगेर।

सर्वप्रथम बैठक की शुरूआती समय में डीजल अनुदान, के0सी0सी0, मक्का अनुदान इत्यादि योजनाओं से संबंधित ए0सी0 एवं डी0सी0 बिल की समीक्षा की गयी तत्पश्चात् विकासपरक योजनाओं की बिन्दुवार समीक्षा करते हुये सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निम्नलिखित निदेश दिये गये :-

डीजल अनुदान से संबंधित डी0सी0 विपत्र की समीक्षा :-

बैठक के दौरान ही सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों के हस्ताक्षरयुक्त डीजल अनुदान से संबंधित ए0सी0/डी0सी0 विपत्र के प्रगति का संकलित संक्षिप्त प्रतिवेदन निम्न प्रकार तैयार किया गया जो अधोलिखित है :-

क्र0	प्रखंड का नाम	ए0सी0 विपत्र की राशि	तैयार डी0सी0 विपत्र की राशि	समर्पित डी0सी0 विपत्र की राशि
1	सदर	43,67,295.00	32,50,528.00	11,16,767.00
2	जमालपुर	47,22,224.00	593880.00	41,28,344.00
3	बरियारपुर	51,94,446.00	51,94,446.00	51,94,446.00
4	धरहरा	58,80,000.00 (approx)	34,59,547.00 (approx)	24,20,453.00 (approx)
5	खड़गपुर	85,14,000.00	66,89,205.00	18,24,795.00
6	टेटियाबंबर	33,05,557.00	14,16,666.00	18,88,891.00
7	असरगंज	33,05,557.00	29,85,656.00	3,19,901.00
8	तारापुर	22,42,619.00	22,42,619.00	22,42,619.00
9	संग्रामपुर	47,22,744.00	38,48,000.00	8,74,744.00
	कुल	**4,22,54,442.00**	**2,96,80,547.00**	**2,00,10,960.00**

डीजल अनुदान से संबंधित उपरोक्त डी0सी0 विपत्र तालिका एवं समीक्षोपरान्त प्रखंड विकास पदाधिकारी सदर, बरियारपुर, संग्रामपुर एवं असरगंज ने बताया कि डी0सी0 विपत्र की शेष राशि का चालान तैयार है जिसके निमित्त निदेश दिया गया कि वे प्रखंडों से विशेष दूत के माध्यम से डी0सी0 विपत्र लेकर दिनांक 17.12.12 तक विभाग में समन्वय स्थापित कर जमा कराना सुनिश्चित करेंगे। इसी प्रकार प्रखंड विकास पदाधिकारी खड़गपुर एवं टेटियाबंबर दिनांक 18.12.12 तक शेष राशि विशेष दूत के माध्यम से जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रखंड विकास पदाधिकारी, तारापुर द्वारा अवगत कराया गया कि उन्हें उक्त मद में 22,42,619/- रू0 का आवंटन प्राप्त हुआ था जिसका पूर्ण डी0सी0 विपत्र लगभग दो माह पूर्व ही विभाग को भेज दिया गया है। इस संबंध में जिला कृषि पदाधिकारी, मुंगेर विभाग से समायोजित ए0सी0 विपत्र की सूची लेकर अपने कार्याल अधीनस्थ किसी कार्मिक की प्रतिनियुक्ति यथासंभव सोमवार एवं मंगलवार के लिये करते हुये यह सुनिश्चित करायेंगे कि क्या तारापुर प्रखंड से डीजल अनुदान संबंधी भेजे गये डी0सी0 विपत्र महालेखा परीक्षक, बिहार, पटना ने समायोजित माना है अथवा नहीं। इसी प्रकार धरहरा प्रखंड द्वारा भी लगभग 24 लाख रू0 का विपत्र महालेखा परीक्षक को भेजा गया था, अतः इसके समायोजन की अद्यतन स्थिति का सत्यापन भी जिला कृषि पदाधिकारी, मुंगेर करायेंगे।

प्रखंड विकास पदाधिकारी, धरहरा ने बैठक के दौरान बताया कि कुछ पंचायत सचिव, यथा- बाहाचौकी, औड़ाबगीचा एवं धरहरा महरना के अन्यत्र प्रखंड में स्थानान्तरण हो जाने के कारण उनके द्वारा विपत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है जिसके कारण लगभग 34 लाख रू0 से अधिक का डी0सी0 बिल वर्तमान में लंबित है। उपरोक्त समीक्षा के बाद पाया गया कि सर्वाधिक दयनीय स्थिति जमालपुर एवं धरहरा प्रखंड की है जो क्षम्य योग्य नहीं है। अतः प्रखंड विकास पदाधिकारी जमालपुर एवं धरहरा के वेतन निकासी पर तब तक रोक लगायी जाती है जबतक वे डीजल अनुदान से संबंधित शत-प्रतिशत डी0सी0 विपत्र विभाग में जमा नहीं कराते हैं। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को शत-प्रतिशत डी0सी0 विपत्र दिनांक 31.12.2012 तक निश्चित रूप से जमा करने का निदेश दिया गया।

मक्का अनुदान से संबंधित डी0सी0 बिल :-

वित्तीय वर्ष 2009-10 में आपदा प्रबंधन मद के शीर्ष 2245 में कृषि योजनान्तर्गत जिला नजारत शाखा से प्रखंडों को उपलब्ध कराये गये मक्का अनुदान की राशि की विवरणी निम्न है :-

क्र0	प्रखंड का नाम	प्रखंड को उपलब्ध करायी गयी राशि
1	सदर	5,00,000.00
2	जमालपुर	1,00,000.00
3	बरियारपुर	5,00,000.00
4	धरहरा	2,00,000.00
5	खड़गपुर	5,00,000.00
6	टेटियाबंबर	1,00,000.00
7	तारापुर	5,00,000.00
8	असरगंज	50,000.00
9	संग्रामपुर	50,000.00
	कुल	**25,00,000.00**

उपरोक्त तालिका में उद्धृत राशि जो प्रखंड विकास पदाधिकारियों को चेक के माध्यम उपलब्ध करायी गयी थी, के संबंध में बताया गया कि पंचायत सचिवों के स्थानान्तरण के उपरान्त कई पंचायत सचिव द्वारा उक्त योजना की राशि का विपत्र कार्यालय को सुपुर्द नहीं किया गया हैं जिसके कारण उक्त राशि अभी तक लंबित है।

समीक्षा के दरम्यान यह प्रतिवेदित हुआ कि कई प्रखंडों, यथा–जमालपुर, बरियारपुर, खड़गपुर इत्यादि द्वारा उक्त योजना की राशि व्यय नहीं की गयी है, अतएव निदेश दिया गया कि जिन प्रखंडों ने उक्त योजना की राशि खर्च नहीं की हैं वे यथाशीघ्र सम्पूर्ण राशि चेक के माध्यम से जिला नजारत शाखा, समाहरणालय, मुंगेर को वापस लौटाना सुनिश्चित करें।

इसी क्रम में प्रकाश में आया कि टेटियाबंबर प्रखंडान्तर्गत नोनाजी एवं बनहरा पंचायत के पंचायत सचिव श्री महामाया प्रसाद सिंह द्वारा अभी तक पूर्व पदस्थापित पंचायत का प्रभार नहीं दिया गया है। इस हेतु निदेश दिया गया कि श्री महामाया प्रसाद सिंह को तीन दिन के लिये जिला पंचायत राज कार्यालय, मुंगेर में पूर्ण प्रभार देने हेतु प्रतिनियुक्त किया जाये एवं उक्त अवधि की उपस्थिति विवरणी जिला पंचायत राज कार्यालय द्वारा निर्गत किया जायेगा एवं यदि वे प्रभार नहीं देते हैं एवं अनुपस्थित रहते हैं तो उक्त अवधि में अनुपस्थित मानते हुये उपस्थिति विवरणी भेजी जाये। इसी प्रकार की स्थिति सदर प्रखंड में पदस्थापित श्री राजनीति मंडल, पंचायत सचिव जो वर्तमान में तारापुर प्रखंड के कुतलुपुर पंचायत के पंचायत सचिव के पद पर पदस्थापित हैं, के द्वारा भी प्रभार देने के उपरान्त अभी तक कैशबुक नहीं दिये जाने के फलस्वरूप प्रखंड विकास पदाधिकारी, तारापुर को निदेश दिया गया कि श्री राजनीति मंडल, पंचायत सचिव की प्रतिनियुक्ति तीन दिनों के लिये सदर प्रखंड में कैशबुक हस्तगत कराने हेतु किया जाये एवं उक्त प्रतिनियुक्ति अवधि की उपस्थिति विवरणी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सदर, मुंगेर देंगी और यदि वे अनुपस्थित पाये जाते हैं तो प्रखंड विकास पदाधिकारी, सदर, मुंगेर उनके उक्त अवधि की अनुपस्थिति प्रतिवेदित करते हुये उपस्थिति विवरणी प्रखंड विकास पदाधिकारी, तारापुर को भेजेंगी।

BIGWIS :-

समीक्षा के दरम्यान यह प्रतिवेदित होना काफी खेदजनक है कि बिगविश योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदनों में मात्र खड़गपुर प्रखंड ने ही 270 लक्ष्य के विरूद्ध अब तक 301 आवेदन प्राप्त किये हैं जिसमें 46 आवेदनों की स्वीकृति संबंधित बैंक द्वारा दी जा चुकी है। इसके विपरीत किसी भी प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा इस कार्य में रूचि नहीं लिये जाने का पूर्णतः संकेत कराती है। विदित हो कि दिनांक 29.12.12 को शिविर का कार्यक्रम निर्धारित है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि सभी प्रखंड विकास पदाध्किारी अपनी कर्त्तव्यपरायणता प्रदर्शित करते हुये किसी भी परिस्थिति में दिनांक 25.12.12 तक लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त करें एवं निर्धारित शिविर के पूर्व संबंधित बैंकों से समन्वय स्थापित कर आवेदनों के निस्तारण की कार्रवाई सुनिश्चित करें ताकि शिविर दिवस को BIGWIS योजना की अर्हता रखने वाले लाभुकों को उक्त योजना का लाभ दिया जा सके।

कब्रिस्तान घेराबन्दी योजना :-

समीक्षा बैठक के दौरान यह विदित हुआ कि पूवदिश के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारियों द्वारा नये कब्रिस्तानों की घेराबन्दी संबंधी भेजे गये प्रतिवेदन को संकलित नहीं किया गया है, जिसके कारण समीक्षा करना संभव नहीं है। अतः श्री राजेश कुमार, वरीय उपसमाहर्त्ता,

मुंगेर एवं मो0 एहसान अहमद, वरीय उपसमाहर्त्ता प्रभारी, जिला विकास शाखा अनुमंडल पदाधिकारियों से आपसी समन्वय स्थापित कर नये कब्रिस्तानों की घेराबन्दी संबंधी प्रतिवेदन को अद्यतन कर अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु संचिका अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित करेंगे।

सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना :-

समर्पित प्रतिवेदनानुसार स्पष्ट है कि प्रथम फेज में जमालपुर, बरियारपुर, तारापुर एवं ह0 खड़गपुर में क्रमशः 3, 39, 2 एवं 5 EB का डाटा अपलोड होना शेष है। इस प्रकार पूर्व में कुल 1142 EB में 1093 EB का डाटा अपलोड हो चुका है एवं 1134 EB में Enumeration का कार्य पूर्ण हो गया है। द्वितीय फेज में धरहरा में शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं मुंगेर नगर एवं खड़गपुर नगर में वर्तमान में कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है।

पूर्व साप्ताहिक बैठक में तय किया गया था कि धरहरा के शिवकुण्ड पंचायत में सुपरवाईजरी मॉड्यूल पूर्ण हो जाने पर प्रारूप प्रकाशन की तैयारी कर ली जाये किन्तु ECIL एवं उसके सहयोगी एजेन्सी ईगल सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड के जिला समन्वयक को यह मालूम ही नहीं है कि सुपरवाईजरी मॉड्यूल पूर्ण हो जाने के बाद आगे क्या कार्रवाई अपेक्षित है एवं डाटा सत्यापन एवं प्रारूप प्रकाशन हेतु प्रिंटआउट कैसे निकालना है। इस हेतु उप विकास आयुक्त, मुंगेर को निदेश दिया गया कि विभाग से इस संबंध में पत्राचार कर प्रदर्श समस्याओं के निराकरण हेतु यथाशीघ्र ठोस कदम उठाने का अनुरोध किया जाये ताकि धरहरा प्रखंड के शिवकुण्ड पंचायत में सुपरवाईजरी मॉड्यूल पूर्ण हो जाने के उपरान्त सर्वेक्षण प्राथमिकता के तौर पर कराया जा सके।

बैठक की अवधि में आवश्यकता के आधार पर उप विकास आयुक्त, मुंगेर को निदेश दिया गया कि दिनांक 18.12.12 को सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना की सफलता सुनिश्चित करने के लिये जमालपुर एवं धरहरा प्रखंड के सुपरवाईजरों को Refresher Training के तौर पर प्रशिक्षण दिया जाये एवं तत्पश्चात् 10 दिनों का अभियान चलाकर जमालपुर एवं धरहरा प्रखंड के सुपरवाईजरी मॉड्यूल को पूर्ण कराया जाये। उक्त कार्य में प्रखंड विकास पदाधिकारी, जमालपुर धरहरा प्रखंड के बाहाचौकी, सिंधिया एवं समीपवर्ती पंचायत में सुपरवाईजरी मॉड्यूल पूर्ण करने में सहायता प्रदान करेंगे।

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को यह विशेष निदेश दिया गया कि सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना में कार्य कर रहे कम्प्यूटर ऑपरेटरों को उनके EB डाटा अपलोड के अनुसार ही मानदेय का भुगतान किया जाये।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना :-

समर्पित प्रतिवेदन के अनुसार यह स्पष्ट होता है कि कुल 178483 बीपीएल परिवारों के विरूद्ध 68966 परिवारों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कार्ड से आच्छादित किया जा सका है जो मात्र 38.64% ही है, जिनमें मुंगेर सदर, जमालपुर, असरगंज, संग्रामपुर एवं जमालपुर नगर परिषद की आच्छादन स्थिति अन्य प्रखंडों से बेहतर है जिसकी प्रगति प्रतिशतता 50% से अधिक है। कार्य में अत्यधिक तीव्रता लाने हेतु जिला समन्वयक, चोलामंडलम को निदेश दिया गया कि निरन्तर प्रखंड विकास पदाधिकारियों से सम्पर्क स्थापित कर कार्य को पूर्ण करायें।

अन्यान्य :-

➢ प्रखंड विकास पदाधिकारी, सदर, मुंगेर ने बैठक समयावधि में अवगत कराया कि प्रखंड से भेजे गये किसान क्रेडिट कार्ड पर इंडियन ओवरसीज बैंक, ठीकारामपुर

द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया है, अपितु टीकारामपुर पंचायत के मुखिया के चालक का के0सी0सी0 स्वीकृत किया गया है एवं बारम्बार अनुरोध के बावजूद शाखा प्रबंधक द्वारा उक्त आवेदनों पर कोई अग्रेत्तर कार्रवाई नहीं की जा रही है। उपरोक्त के संदर्भ में लीड बैक प्रबंधक, मुंगेर को निदेश दिया गया कि उक्त तथ्य की जांच स्वयं करें कि क्या वास्तव में प्रखंड मुख्यायल से भेजे गये आवेदनों पर कार्रवाई न करते हुये अन्यत्र स्रोत से प्राप्त आवेदनों पर कार्रवाई की जा रही है तो इंडियन ओवरसीज बैंक, टीकारामपुर के विरूद्ध इस अनियमितता के दृष्टिगत सुस्पष्ट प्रतिवेदन तैयार करते हुये एक सप्ताह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाये ताकि उक्त प्रतिवेदन के आलोक में उनके इस कृत्य के लिये संबंधित वरीय कार्यालय को सूचना दी जा सके एवं किसी भी सरकारी राशि को उक्त शाखा में जमा नहीं करने का स्पष्ट आदेश निर्गत किया जा सके।

- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि उनके स्तर से प्रखंड में कार्यान्वित वैसी राशि जो किसी भी योजना के लिये चिन्हित नहीं है, को यथाशीघ्र वापस जमा करना सुनिश्चित किया जाये।

तत्पश्चात् धन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

12/01/13

(कुलदीप नारायण)
जिला पदाधिकारी
मुंगेर।

ज्ञापांक 11 /विकास, दिनांक 15-01-13

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, मुंगेर/निदेशक, एन0ई0पी0, मुंगेर/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी प्रखंडों के नामित वरीय उपसमाहर्त्ता प्रभारी/जिला कल्याण पदाधिकारी, मुंगेर/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मुंगेर/सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, मुंगेर/जिला कृषि पदाधिकारी, मुंगेर/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुंगेर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर/जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/01/13

(कुलदीप नारायण)
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक 11 /विकास, दिनांक 15-01-13

प्रतिलिपि : आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

12/01/13

(कुलदीप नारायण)
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।